न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 27 / 2024	12.06.2024	30.09.2024

1– सरकार जर्ये उर्वरक / बीज / किटनाशक एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

प्रार्थी

बनाम

2– अजीत प्रसाद सिंह पुत्र लक्ष्मण जाति अहीर निवासी ग्राम अमीटोला तहसील हेतमपुर जिला भोजपुर बिहार एंव मुनफेद पुत्र डिब्बन निवासी ग्राम बंदापुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (4) सहपठित उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश 1985 का उल्लधंन ।

उपस्थितः–

1 ———————— विभागीय प्रतिनिधि

2–श्री अभय सिंह दायमा वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

उर्वरक निरीक्षक एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा की ओर से यह प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (4) सहपठित उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश 1985 का उल्लधंन पाये जाने पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है, कि दिनाक 01.11.2023 को थानाधिकारी पुलिस थाना चौपानकी भिवाडी जिला खैरथल–तिजारा द्वारा दुरभाष पर सूचना दी गयी सूचना के आधार पर थाना चौपानकी भिवाडी में पहुचने पर मौके पर पाया कि वाहन संख्या एच. आर. 55 ए. जे. 2898 में 300 बैग प्रत्येक 50 किलो ग्राम (इफको) कम्पनी का डीएपी भरा हुआ है, ड्राईवर अजीत प्रसाद सिंह पुत्र लक्ष्मण अहीर निवासी ग्राम अमीटोला तहसील हेतमपुर जिला भोजपुर बिहार द्वारा परिवहन किया जा रहा था। तथा उक्त डीएपी अवैध रूप से चालक द्वारा ग्राम भुडली से पलवल ले जा रहा था। गाडी ड्राईवर अजीत प्रसाद सिंह पुत्र लक्ष्मण अहीर निवासी ग्राम अमीटोला तहसील हेतमपुर जिला भोजपुर बिहार तथा गाडी मालिक मुनफेद पुत्र डिब्बन निवासी ग्राम बंदापुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा जब्त उर्वरक डीएपी से संबंधित कोई भी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नही

कराया गया। कृषि विभाग की टीम द्वारा अवैध रूप से परिवहन बिना क्रय–विक्रय बिल लाईसेन्स के विक्रय किये जाना पाये जाने पर पुलिस थाना चौपानकी भिवाडी में गाडी मय डीएपी पर कार्यवाही कर 300 बैग प्रत्येक 50 किलो ग्राम (इफको) उर्वरक मय गाडी की जब्ती कर पुलिस थाना चौपानकी भिवाडी को सुपुर्द कर उक्त डीएपी को संदेहजनक माना जाकर नमूना आहरित किया गया। जिसका नमूना कोड आर. जे. ई/एफ/2023–24/019 है। जिसको राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला में जॉच हेतु भिजवाया गया। ड्राईवर अजीत प्रसाद सिंह पुत्र लक्ष्मण अहीर निवासी ग्राम अमीटोला तहसील हेतमपुर जिला भोजपुर बिहार एंव गाडी मालिक मुनफेद पुत्र डिब्बन निवासी ग्राम बंदापुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा अवैध कारोबार कर उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के क्लोज 19 ए एवं 28 (1) (डी) के तहत उक्त संदेहजनक डीएपी (ईफको) को जब्त किया गया। फर्द जब्ती की कार्यवाही कर जब्त सामग्री 300 बैग प्रत्येक 50 किलो ग्राम (इफको) कम्पनी का डीएपी सुरक्षा की द्वष्टि से थाना चौपानकी भिवाडी की सुपुदर्गी में दिया गया। प्रार्थना पत्र 6 ए स्वीकार फरमाया जाकर जब्त शुदा सामग्री 300 बैग प्रत्येक 50 किलो ग्राम (इफको) कम्पनी का डीएपी का निस्तारण के आदेश प्रदान किये जावे।

विद्ववान अप्रार्थी वकील उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। कि थानाधिकारी चौपानकी भिवाडी द्वारा गाडी नम्बर एच.आर–55–ए.जे, 2898 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अर्न्तगत गलत रूप से जब्त कर ड्राईवर अजीत प्रसाद सिंह पुत्र लक्ष्मण अहीर निवासी ग्राम अमीटोला तहसील हेतमपुर जिला भोजपुर बिहार एंव गाडी मालिक मुनफेद पुत्र डिब्बन निवासी ग्राम बंदापुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम में गिरफ्तार कर न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट भिवाडी के समक्ष पेश किया है। जबकि उक्त वाहन को थानाधिकारी चौपानकी भिवाडी द्वारा वाहन को दिनाक 30.10.2023 को जब्त किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 289/2023 ड्राईवर के खिलाफ दर्ज कर झूठी कार्यवाही की गयी है। मैरा कार्य ट्रांसपोर्ट का है, जिसको में विधिवत रूप से संचालन करता चला आ रहा हूँ जिसका जी.एस.टी नम्बर भी लिया हुआ है। (08 बी.एस.आर.पी.एन. 6349 सी 1 जैड.सी) जो सीएनजी पम्प के पीछे चौपानकी में स्थित है। दिनाक 30.10.2023 को करीब सायः 4 बजे तीन लोग ब्लेनो गाडी से मेंरे कार्यालय पर आऐ व गाडी भाडे पर लेने के लिये बातचीत करने लगे व मैरा मोबाईल नम्बर लेकर चले गये। उसी दिन सायः को करीब 7 बजे उक्त तीन लोगो में से किसी एक व्यक्ति द्वारा मुझे मोबाईल न0 9012865666 से मेरे मोबाईल न0 9828445025 पर फोन किया और गाडी चौपानकी से पलवल जाने के लिये भाडा तय किया और कहा कि हमारे 300 खाद्व के कटटे जाने है, जिस पर मैने अपनी गाडी रजि0 न0 एच.आर. 55 ए.जे 2898 ड्राईवर अजीत प्रताप सिंह के माध्यम से उक्त व्यक्ति द्वारा बताये अनुसार गोदाम पर भेज दी। गाडी लोड होने के बाद मैं भी उनके गोदाम पर पहुचा और मेने उन लोगो से उक्त गाडी व माल के संबंध में बिल की बात की

तो उसी समय ईको गाडी रजि0 न0 डी.एल 3 सी.सी.पी 9875 से दो–तीन लोग आये और उन्होने कहा कि आप गाडी का बजन कराओ हम कांटे पर ही आपको बिल व बिल्टी दे देगे। उसी समय मैने ड्राईवर को डीएपी खाद्व के कटटे से भरी हुई गाडी को कांटा करवाने के लिये रवाना कर दिया जाते समय चौपानकी पुलिस द्वारा किंगफिशर बीयर कंम्पनी के पास रात करीब 2 बजे रोक लिया गया। इस पर ड्राईवर द्वारा गाडी रोके जाने के संबंध में सूचना दी व पुलिस ने उक्त डी.ए.पी. खाद्व के कटटे के बिल व बिल व बिल्टी के संबंध में कहा तो बिल नही होने की वजह से पुलिस द्वारा उक्त गाडी को माल सहित जब्त कर लिया व मैं भी कुछ समय पश्चात ही थाने में पहुच गया। मुझे व मेरे ड्राईवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मुझे व ड्राईवर के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 289/2023 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जबकि मुकामी पुलिस द्वारा उक्त तीनो लोगो के खिलाफ व ईको गाडी के मालिक व ड्राईवर व गोदाम संचालक के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये थी, जो आदिनाक तक पुलिस द्वारा नही की गयी है। मैरी गाडी को उक्त लोगो द्वारा झूठ बोलकर व साजिशवश भाडे पर ली गयी इस बारे में कोई सूचना नही दी है कि उन लोगो के पास डीएपी खाद्व के कटटो के संबंध में व्यापार करने संबंधित कोई बिल या बिल्टी या अनुज्ञप्ति प्रमाण–पत्र नही है। उक्त सभी बातो को मैने मुकामी पुलिस को अवगत करा दिया था, लेकिन इसके बाद भी मुकामी पुलिस व आई.ओ द्वारा उक्त लोगो के खिलाफ आदिनाक तक कोई कार्यवाही अमल में नही लायी गयी है। यह है, कि आसिन खान पुत्र रहमान खान निवासी ग्राम कहरानी जिला खैरथल–तिजारा मोबाईल न0 9414013786 ड्राईवर व क्रेता–विक्रेताओ के संर्म्पक में है, जब पुलिस द्वारा अप्रार्थी को थाने में बैठा रखा था उस समय आसीन उक्त अज्ञात व्यक्तियो के माल को छुडवाने के लिये व पुलिस से साठगाठ बैठाने के लिये बार–बार थाने पर आ जा रहा था व अप्रार्थी से कह रहा था कि फिक्र मत कर तुझे जेल नही जाने दूगा और तेरी गाडी को भी छुडवा दूगा। जो इस प्रकरण में अहम व्यक्ति है, जिसको इस कार्यवाही में शामिल किया जाना अति–आवश्यक है। इस माल से मेरा कोई लेना देना नही है, न ही मैरे द्वारा अवैध रूप से खाद्व के कटटो के लाने ले जाने का कार्य किया जाता है। उक्त घटना के बाबत उचित कार्यवाही के संबंध में मेरे द्वारा एक तहरीर रिपोर्ट पुलिस अधिक्षक भिवाडी को स्वंय उपस्थित होकर व जरिर्ये डाक प्रेषित की गयी थी, साथ ही न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिवाडी के समक्ष एक परिवाद अन्तर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया सहिता के तहत पेश किया गया। जिसमें थानाधिकारी चौपानकी/आईओ द्वारा सही जॉच न करने व मुकदमे में वांछित मुल्जिमो की गिरफ्तारी की संदर्भ में व आईओ बदलने के लिये निवेदन किया गया है।

विभागीय प्रतिनिधी उपस्थित। बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि दिनाक 01.11.2023 को थानाधिकारी पुलिस थाना चौपानकी भिवाडी जिला खैरथल–तिजारा द्वारा दुरभाष पर सूचना

किया गया। जिसका नमूना कोड RJE/F/2023-24/019 है। जिसकी राजकीय उचरक परीक्षण

दी गयी सूचना के आधार पर थाना चौपानकी भिवाडी में पहुचने पर मौके पर पाया कि वाहन संख्या एच. आर. 55 ए. जे. 2898 में 300 बैग प्रत्येक 50 किलो ग्राम (इफको) कम्पनी का डीएपी भरा हुआ है, ड्राईवर अजीत प्रसाद सिंह पुत्र लक्ष्मण अहीर निवासी ग्राम अमीटोला तहसील हेतमपुर जिला भोजपुर बिहार द्वारा परिवहन किया जा रहा था। तथा उक्त डीएपी अवैध रूप से चालक द्वारा ग्राम भुडली से पलवल ले जा रहा था। गाडी ड्राईवर अजीत प्रसाद सिंह पुत्र लक्ष्मण अहीर निवासी ग्राम अमीटोला तहसील हेतमपुर जिला भोजपुर बिहार तथा गाडी मालिक मुनफेद पुत्र डिब्बन निवासी ग्राम बंदापुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा जब्त उर्वरक डीएपी से संबंधित कोई भी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नही कराया गया। कृषि विभाग की टीम द्वारा अवैध रूप से परिवहन बिना क्रय–विक्रय बिल लाईसेन्स के विक्रय किये जाना पाये जाने पर पुलिस थाना चौपानकी भिवाडी में गाडी मय डीएपी पर कार्यवाही कर 300 बैग प्रत्येक 50 किलो ग्राम (इफको) उर्वरक मय गाडी की जब्ती कर पुलिस थाना चौपानकी भिवाडी को सुपुर्द कर उक्त डीएपी को संदेहजनक माना जाकर नमूना आहरित किया गया। जिसका नमूना कोड आर. जे. ई/एफ/2023–24/019 है। जिसको राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला में जॉच हेतु भिजवाया गया। ड्राईवर अजीत प्रसाद सिंह पुत्र लक्ष्मण अहीर निवासी ग्राम अमीटोला तहसील हेतमपुर जिला भोजपुर बिहार एंव गाडी मालिक मुनफेद पुत्र डिब्बन निवासी ग्राम बंदापुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा अवैध कारोबार कर उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के क्लोज 19 ए एवं 28 (1) (डी) के तहत उक्त संदेहजनक डीएपी (ईफको) को जब्त किया गया। फर्द जब्ती की कार्यवाही कर जब्त सामग्री 300 बैग प्रत्येक 50 किलो ग्राम (इफको) कम्पनी का डीएपी सुरक्षा की द्वष्टि से थाना चौपानकी भिवाडी की सुपुदर्गी में दिया गया। प्रार्थना पत्र 6 ए स्वीकार फरमाया जाकर जब्त शुदा सामग्री 300 बैग प्रत्येक 50 किलो ग्राम (इफको) कम्पनी का डीएपी का निस्तारण के आदेश प्रदान किये जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। एंव वकुलाय की बहस का मनन किया। उक्त प्रकरण में उर्वरक निरीक्षक एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा के द्वारा उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के क्लोज 19 ए एवं 28 (1) (डी) का उल्लधन पाये जाने पर अप्रार्थी के विरूद्व नियमानुसार उर्वरक 300 बैग प्रत्येक 50 किलो ग्राम (इफको) कम्पनी का डीएपी को जब्त किया गया। जब्त सामग्री 300 बैग प्रत्येक 50 किलो ग्राम (इफको) कम्पनी का डीएपी सुरक्षा की द्वष्टि से थाना चौपानकी भिवाडी की सुपुदर्गी में दिया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में स्वयं स्वीकार किया गया है, कि उर्वरक 300 बैग बगैर बिल व बिल्टी उनके ,द्वारा ही रखे गये है, नियमानुसार सबंधित विभाग की बिना विधिक अनुज्ञापत्र/अनुमति के कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से परिवहन बिना क्रय–विक्रय बिल लाईसेन्स के परिवहन नही कर सकता है, उक्त कार्यवाही नियम विरूद्व व काला बाजारी की श्रेणी में आती है। जो नियम विरूद्व है। उर्वरक निरीक्षक एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा द्वारा उक्त प्रकरण

में की गयी कार्यवाही न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में उर्वरक निरीक्षक एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उर्वरक निरीक्षक एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है, प्रकरण में जब्तशुदा उर्वरक 300 बैग प्रत्येक 50 किलो ग्राम (इफको) कम्पनी का डीएपी को दिनाक 01.11.2023 को थानाधिकारी पुलिस थाना चौपानकी भिवाड़ी की सुपुर्दगी में दिये गये है, से वापिस प्राप्त कर नियमानुसार नष्ट कराया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करे। एवं की गयी कार्यवाही से न्यायालय को अवगत करावे। निर्णय प्रमाणित प्रति उर्वरक निरीक्षक एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा (राज0)